

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072020-220387
CG-DL-E-06072020-220387

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1969]
No. 1969]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2020/ आषाढ़ 15, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2020/ASADHA 15, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2020

का.आ. 2226(अ).—इस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1049(अ) दिनांक 12 मार्च, 2020 के अनवरत क्रम में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), श्री बंसी लाल भट्ट, सदस्य (न्यायिक) का कार्यकाल, कार्यकारी अध्यक्ष, एनसीएलएटी के रूप में 15.06.2020 से तीन महीने की अवधि अथवा नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाता है।

[फा. सं. ए-12023/4/2019-प्रशासन-IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : प्रमुख अधिसूचना दिनांक 12 मार्च, 2020 के का.आ. सं. 1049(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2020

S.O. 2226(E).—In continuation of this Ministry's notification S.O. 1049(E) dated 12th March, 2020, the term of office of Justice (Retd.) Shri Bansi Lal Bhat, Member (Judicial) as officiating Chairperson, NCLAT is further extended for a period of three months with effect from 15.06.2020 or until a regular Chairperson is appointed or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. A-12023/4/2019-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1049(E), dated the 12th March, 2020.